न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी कुसुमलता चौंहान , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. उगमकंवर पत्नि सुरेन्दसिंह 2. बेबीकंवर पत्नि इन्द्रसिंह जातियान राजपूत निवासीयान रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा, जालोर		1. अर्जुनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा, जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जानू प्रशांत।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांक – 20.07.2023

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद रानीवाडा खुर्द में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1385 रकबा 3.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1386 रकबा 0.04 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.41 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी के पडौस में पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 अर्जुनसिंह की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1390 रकबा 1.87 हैक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 अर्जुनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी 1390 की सीमा को लेकर विवाद है तथा उक्त सीमा विवाद को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण से सीमा पर हमेशा विवाद को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण से सीमा पर हमेशा विवाद करता रहता है। सीमा को लेकर विवाद होने से प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश क्रमांक 75 दिनांक 21.06.2022 के जरिये उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश दिये गये थे, उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी रानीवाडा खुर्द दिनांक 28.06.2022 को मौके पर पैमाईश करने गये तथा जरीब चला कर सीमांकन किया परन्तु मौके पर सीमा का विवाद होने से पडौसी खातेदार ने उक्त सीमांकन निशानात को स्वीकार नहीं किये तथा हल्का पटवारी रानीवाडा खुर्द द्वारा श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश की सही रूप से पालना नहीं की जा सकी।

प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1385 व 1386 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1390 की सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण से सीमा पर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थीगण अपने नाम की खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी की पैमाईश कर उक्त आराजी की बीच की सीमा का सीमाकंन कर स्थाई सीमा चिन्ह लगवा गाढ़ी करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि सरहद मौजा रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 1385, 1386 व अप्रार्थी सख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1390 के बीच की सीमा का सीमाकंन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गढ़ी करने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस की गई।

3. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ताओं व तहसीलदार रानीवाडा की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए विवादीत आराजी मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 1385 व 1386 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1390 के मध्य की माठ विवादीत होने से माठ का सीमाकंन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गढ़ी करने का निवेदन किया गया।

   अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि अप्रार्थी की आराजी व प्रार्थीगण की आराजी के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को परेशान करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो न्यायहित में खारिज फरमावें। व अप्रार्थी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त विवादीत आराजी के खातेदारों के मध्य माठ विवादीत होने से पैमाईश करवाना चाहते है। दिनांक 28.06.2022 को सीमाकंन करने पर पडौसी खातेदार द्वारा निशानात स्वीकार नहीं किये गए व पैमाईश स्थगित की गयी थी। अतः सीमाविवाद के निस्तारण हेतु प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी के मध्य पत्थरगढ्ढी की जावें तो कोई आपत्ति नहीं है।

4. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.06.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवाद करने पर सीमाकंन नहीं किया गया। तथा राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 1385, 1386 व 1390 के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा रानीवाडा खुर्द पटवार हल्का रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 1385, 1386 रकबा क्रमश 3.37, 0.04 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1390 रकबा 1.87 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गडडी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित [illegible] निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मो[illegible]क्शा से पैमाईश करें, तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata
Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested